न्यायालय :– सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर, जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग

प्रकरण संख्या : 31/2026 सेशन प्रकरण
(CIS No. 47/2019)

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बाडमेर।

––अभियोगी

बनाम

अशोक कुमार पुत्र वगताराम, निवासी धोरीमना, जिला बाड़मेर

–– अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा – 498(ए), 304बी भा.दं.सं.

विकल्पतः 302 भा.दं.सं.

उपस्थित :–
राज्य की ओर से : श्री दामोदर कुमार चौधरी,
लोक अभियोजक
अभियुक्त की ओर से : श्री राजेश विश्नोई,
अधिवक्ता

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 05.05.2026**

1. आरक्षी केन्द्र धोरीमना, जिला बाड़मेर की ओर से यह आरोप पत्र सर्वप्रथम अभियुक्त अशोक कुमार के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं. के तहत दिनांक 24.04.2019 को अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से प्रकरण विधि अनुसार निस्तारण करने हेतु दिनांक 06.05.2019 को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1, बाड़मेर के न्यायालय में उपार्पित किया गया। तत्पश्चात् इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 20 दिनांक 12.01.2026 की पालना में उक्त प्रकरण अंतरित होकर दिनांक 16.01.2026 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह हैं कि दिनांक 29.03.2019 को परिवादी सोहनलाल ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की

कि उसकी बहन बाबूदेवी का विवाह दो वर्ष पूर्व अशोक पुत्र वगताराम के साथ हुआ था। विवाह के एक साल बाद उसकी बहन को अशोक कुमार व सासू ने कहा कि तू राड तेरे पीहर से दहेज कम लाई, इस प्रकार उसके साथ मारपीट की थी। तब उसकी बहन उनके घर आयी तथा उन्हें आप बीती बताई तो उन्होने हमेशा लडाई झगड़ा शांत करने के लिए दहेज के लिए कुछ रोकड़ रूपये दिये थे तथा उनके गांव के मौजीज लोगो को ले जाकर कहलवाया, पंचायती करवाई। उसके बाद कई बार दहेज के लिए मारपीट, परेशान व तंग करते थे। हमेशाा दहेज के लिए झगडा करते थे। इससे पूर्व होली के समय उसकी बहन बाबुदेवी के साथ मारपीट की थी तथा उसकीबहन उनके घर पर आयी, उन्हे कहा कि उसका पति व सास उसके साथ हमेशा मारपीट करते हैं। दहेज के लिए तंग व परेशान करते हैं, उसे मारने के लिए उतारू हैं। उसकी बहन से फोन खोसकर ले लिया तब उन्होने जैसे–तैसे करके समझाईश करवाई। कल दिनांक 28.03.2019 को शाम करीबन 6.00 बजे उसकी बहन बाबुदेवी के साथ अशोक कुमार व सासु ने मारपीट की तथा मुंह में कपड़ा डालकर हत्या कर दी। हत्या करने से पूर्व बाबुदेवी ने उनको फोन पर किसी अन्य फोन से बात करने की कोशिश की तब उसकी बहन के साथ मारपीट करने की आवाज आयी थी। इत्यादि रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 87/2019 दर्ज कर बाद अनुसंधान मुलजिम अशोक कुमार के विरुद्ध धारा 498(ए), 304बी भा.दं.सं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. मुलजिम अशोक कुमार पुत्र वगताराम के न्यायालय में उपस्थित होने पर बहस चार्ज सुनी जाकर मुलजिम को धारा 498(ए), 304बी भा.दं.सं. विकल्पतः 302 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए समझाए गए तो मुलजिम ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान को परीक्षित करवाया गया :–

गवाह संख्या	गवाह का नाम	विवरण
पी.ड. 1	डॉ. पंकज	चिकित्सकीय साक्षी, मेडिकल बोर्ड गठन करने का आदेश प्रदर्श पी 1, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 2
पी.ड. 2	डॉ. रामनिवास	चिकित्सकीय साक्षी, मेडिकल बोर्ड गठन करने का आदेश प्रदर्श पी 1, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 2
पी.ड. 3	धरमाराम	अभियुक्त का पड़ौसी
पी.ड. 4	भजनलाल	अभियुक्त का पड़ौसी
पी.ड. 5	लालकृष्ण	अभियुक्त का पड़ौसी

पी.ड. 6	सोहनलाल	परिवादी, मृतका का भाई, रिपोर्ट तहरीरी प्रदर्श पी 6, फर्द नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी 7, फर्द सूरतहाल लाश मृतका बाबू प्रदर्श पी 8, फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका बाबू प्रदर्श पी 9, शादी की विगत बही प्रदर्श पी 10
पी.ड. 7	धन्नाराम	अभियुक्त का पड़ौसी
पी.ड. 8	रामजीवन	मृतका का भाई
पी.ड. 9	किसनाराम	मृतका का चचेरा चाचा
पी.ड. 10	केसाराम	फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 का गवाह
पी.ड. 11	बुधराम	मृतका का चाचा, फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी 8, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 9, फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 13, फर्द जब्ती रस्सी प्रदर्श पी 15 का गवाह
पी.ड. 12	हनुमानराम	फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 13 का गवाह
पी.ड. 13	श्रीराम	फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 13 का गवाह
पी.ड. 14	जगदीश	फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 13 का गवाह
पी.ड. 15	प्यारेलाल	अनुसंधान अधिकारी, फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी 8, फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 13, फर्द जब्ती रस्सी प्रदर्श पी 15, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 25, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 9, लाश के फोटो प्रदर्श पी 16 से 22, फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 7, मेडिकल बोर्ड गठन हेतु तहरीर प्रदर्श पी 23, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 2, गवाहान के बयान लेखबद्ध किए जाने, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रदर्श पी 24, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 6, पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 26, चार्जशीट प्रदर्श पी 27, आर्टिकल 1 का गवाह
पी.ड. 16	खिंवणी	मृतका की माता

प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये :–

प्रदर्श संख्या	**दस्तावेज का विवरण**	**विवरण**
प्रदर्श पी. 1	मेडिकल बोर्ड गठन का आदेश	पी.डब्ल्यू. 1 डॉ. पंकर, पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. रामनिवास
प्रदर्श पी. 2	पोस्ट मार्टम रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू. 1 डॉ. पंकर, पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. रामनिवास, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 3	पुलिस बयान धरमाराम	पी.डब्ल्यू. 3 धरमाराम, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 4	पुलिस बयान भजनलाल	पी.डब्ल्यू. 4 भजनलाल, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 5	पुलिस बयान लालकृष्ण	पी.डब्ल्यू. 5 लालकृष्ण, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 6	रिपोर्ट तहरीरी	पी.डब्ल्यू. 6 सोहनलाल, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 7	फर्द नक्शा व हालात मौका	पी.डब्ल्यू. 6 सोहनलाल, पी.डब्ल्यू. 10 केसाराम, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 8	फर्द सूरतहाल लाश	पी.डब्ल्यू. 6 सोहनलाल, पी.डब्ल्यू. 11 बुधराम, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 9	फर्द सुपुर्दनामा लाश	पी.डब्ल्यू. 6 सोहनलाल, पी.डब्ल्यू. 11 बुधराम, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 10	शादी की विगत बही	पी.डब्ल्यू. 6 सोहनलाल

प्रदर्श पी. 11	पुलिस बयान रामजीवन	पी.डब्ल्यू. 8 रामजीवन, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 12	पुलिस बयान किसनाराम	पी.डब्ल्यू. 9 किसनाराम, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 13	फर्द पंचनामा	पी.डब्ल्यू. 11 बुधराम, पी.डब्ल्यू. 12 हनुमानराम, पी.डब्ल्यू. 13 श्रीराम, पी.डब्ल्यू. 14 जगदीश, पी. डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 14	—	—
प्रदर्श पी. 15	फर्द जब्ती रस्सी	पी.डब्ल्यू. 11 बुधराम, पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 16 से 22	फोटोग्राफस	पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 23	मेडिकल बोर्ड गठन हेतु तहरीर	पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 24	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम अशोक कुमार	पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 25	मालखाना रजिस्टर	पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 26	पर्चा चाक एफआईआर	पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 27	चार्जशीट	पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल
प्रदर्श पी. 28	पुलिस बयान खिंवणी	पी.डब्ल्यू. 16 खिंवणी पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल

दौराने अभियोजन साक्ष्य जब्तशुदा रस्सी आर्टिकल 1 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से पुलिस बयान सोहनलाल को प्रदर्श डी 1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त के अभिकथन अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत कलमबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा उनके विरुद्ध दिए गए कथनों का गलत होना एवं स्वयं का निर्दोष होना बताते हुए उनको झूठा फंसाया जाना तथा वक्त घटना घर पर नही होना बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्षी परीक्षित करवाना नहीं चाहा।

6. बहस अंतिम उभय पक्षकारान की ध्यानपूर्वक सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

7. दौराने बहस विद्वान् लोक अभियोजक की ओर से तर्क पेश किया कि प्रकरण में अभियोजन साक्षी पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से पक्षद्रोही हुए हैं, परन्तु वास्तव में अभियुक्त द्वारा आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है। परिवादी सोहनलाल पी.डब्ल्यू. 6 के रूप में परीक्षित हुआ हैं, जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन किया हैं। अतः मुलजिम को आरोपित अपराध के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क पेश किया कि प्रकरण में आरोपों के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अभियोजन मामले की कण मात्र भी पुष्टि नहीं की है। पी.डब्ल्यू. 6 सोहनलाल परिवादी जो कि मृतका का भाई हैं, हालांकि पक्षद्रोही नही हुआ हैं परन्तु इस गवाह ने बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैं कि अशोक छोटा–मोटा नशा करता था इस कारण उसकी बहन परेशान रहती थी। इस गवाह ने दहेज की मांग को लेकर कोई कथन नही किया हैं। इस प्रकार उनका यह भी तर्क रहा हैं कि अभियोजन का यह मामला शून्य साक्ष्य का मामला है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं संबंधित कानून का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

> (1.) ''आया अभियुक्त अशोक कुमार की शादी परिवादी की बहन बाबुदेवी के साथ दिनांक 26.06.2016 को होने के उपरांत अभियुक्त ने उसे दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रपीड़ित कर क्रूरता की तथा दिनांक 28.03.2019 को शाम के किसी समय स्थान खरड़ स्थित अपनी रहवासी ढाणी में बने लोहे कीचदरो के कमरे में एंगल पर रस्सी का फंदा लगाकर फांसी खाई, जिसके परिणामस्वरूप बाबुदेवी की मृत्यु कारित हुई। अभियुक्त ने बाबूदेवी की दहेज मृत्यु कारित की?''
>
> **विकल्पतः**
>
> ''आया अभियुक्त ने उपरोक्त तिथि, समय स्थान पर बाबुदेवी की मृत्यु कारित करने के आशय से उसको प्रताड़ित कर उसको रस्सी से लटकाकर बाबुदेवी की मृत्यु कारित की–हत्या की?''

10. प्रस्तुत प्रकरण का उद्भव परिवादी सोहनलाल के द्वारा पुलिस थाना धोरीमना, बाड़मेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 के आधार पर हुआ, जिस प्रदर्श पी 6 का उल्लेख इस निर्णय के प्रारम्भ में किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा विचारणीय बिन्दु को साबित करने के क्रम में अभियोजन साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 लगायत पी.डब्ल्यू. 16 को परीक्षित करवाया है, जिस संदर्भ में मैं सर्वप्रथम इस प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह **पी.डब्ल्यू. 6 सोहनलाल** जो कि परिवादी/मृतका बाबुदेवी का भाई है, की साक्ष्य का अवलोकन एवं विवेचन किया

जाना न्यायोचित समझता हूं। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 6 सोहनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बाबू उसकी बहन लगती थी। बाबू की शादी अशोककुमार पुत्र वगताराम के साथ हो रखी थी। बाबू की शादी दिनांक 26.06.2016 को हुई थी। उसके भाई रामजीवन की शादी अशोककुमार की बहिन सोहनी के साथ हो रखी है। दोनों रिश्ते आटे–साटे में हो रखे है। बाबू शादी के बाद अपने सास–ससुर, पति के साथ रहती थी। साल भर तक इनके आपस में ठीक–ठीक चला। इसके बाद अशोककुमार व मिरगो देवी ने कम दहेज लाने के कारण उसकी बहिन के साथ गाली–गलौच शुरू कर दी तथा उसके बाद लड़ाई–झगड़ा कर उसकी बहिन को घर से निकाल दिया। फिर उसकी बहिन उनके घर रोहिला आ गई और बताया कि उसे रामदेवरा जाना था। उसने पैसा मांगा तब अशोक कुमार व उसके परिवार वालों ने पैसे नहीं दिये और लड़ाई की। फिर उन्होंने उसकी बहिन को 5000 रुपए देकर रामदेवरा भेजा। रामदेवरा से वापस आने पर उसकी बहिन बाबू सीधे अपने ससुराल गई। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसकी बहिन से लड़ाई की। फिर उसकी बहिन ने उसके भाई रामजीवन को फोन किया और बताया कि तेरा बहनोई अशोक कुमार व मिरगो देवी उसके साथ लडाई कर रहे हैं, वे आए और उसका समझौता करवाए। फिर उसके पिताजी मानाराम और उसके चाचा किशनाराम धोरीमना गए। फिर अशोककुमार के पडोसियों को बुलाया और उनके साथ समझाईश की कि तब उसके पिताजी को बोला कि आज के बाद आपकी बेटी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। फिर उसके पिताजी और चाचाजी उनके घर आ गए। उसके चार दिन बाद उसके पिताजी धोरीमना बाजार गए हुए थे आते वक्त उसकी बहिन को उनके घर ले आये। उसके बाद अशोक काम पर बाहर चला गया। उसके चार महीने बाद होली पर अशोक घर आया तब हमारे यहां आया था तब उसने उसकी बहन से रात में लडाई की थी। फिर सुबह वह उसकी बहन को समझाकर अशोक के साथ ससुराल भेज दिया। फिर होली के दिन वह बाजार गया और उसकी बहन को वह अपने घर ले आया। फिर उसकी बहन ने उसे बताया कि तेरा बहनोई नशेडी है और उसके साथ मारपीट व लडाई करता है। फिर होली के दूसरे दिन अशोक उनके घर आया और बाबू को अपने साथ ले गया। उसके बाद अशोक ने उसकी बहन से फोन छीन लिया और उनसे उसकी बहन की बात नहीं होने दी। फिर दिनाक 28.03.2019 को दोपहर में 04:00 बजे उनके घर उसके भाई के पास उसकी बहन का फोन आया था, उस समय फोन पर बात नहीं हुई और वह रो रही थी। उसके बाद वो फोन बंद हो गया। दो घंटे बाद करीब 6:00 बजे अशोक का फोन आया और

उसने बोला की आपकी बहिन ने फांसी खा ली है इतना कहकर अशोक ने फोन काट दिया। रात्रि में उनके घर पर अशोक के परिवार वाले आए फिर उनके घर वाले उनके साथ गए। वह वहां पर नहीं गया था। उसकी बहिन की शादी हुई तब उन्होंने उसे उनकी हैसियत अनुसार दहेज का सामान दिया था। उसकी बहन को अशोक व मिरगो ने मारा है। पुलिस में उसने रिपोर्ट दी थी जो प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी तीन जगह उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस के साथ वह मौके पर गया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द सूरत हाल लाश मृतका बाबू का प्रदर्श पी 8 पुलिस ने बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका बाबू की प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बाबू की शादी की विगत बही की फोटोप्रति उसने पेश की थी। बाबू की शादी की विगत बही प्रदर्श पी 10 है जो तीन पेज की है जिस पर ए से बी प्रत्येक पेज पर उसके हस्ताक्षर है।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि मेरे भाई रामजीवन की शादी अशोक की बहिन सोहनी के साथ मेरी बहिन के आटे–साटे में हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि मेरी बहिन खत्म हुई उससे पहले हमने उसके ससुराल वालो के खिलाफ उसको तंग व परेशान करने बाबत पुलिस में कोई मुकदमा नही किया था। गवाह ने यह भी कथन किया कि उसकी बहिन को रामदेवरा जाने का उसके पति व सास ने मना नही किया था, अजखुद कहा कि उसे पैसे नही दिये थे। इस कथन को सही होना कहा कि रामदेवरा से वापस आने के बाद मैं मेरी बहिन के ससुराल समझाईश हेतु साथ नही गया था। इस कथन को भी सही होना कहा कि अशोक छोटा–मोटा नशा करता था इस कारण मेरी बहिन परेशान रहती थी। इस कथन को भी सही होना कहा कि होली के दूसरे दिन अशोक मेरी बहिन को हमारे घर से राजीखुशी लेकर गया था तथा होली पर मेरी बहिन के ससुराल जाने के बाद मेरी उससे कोई बात नही हुई थी।

11. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह **पी.डब्ल्यू. 8 रामजीवन** जो कि मृतका बाबुदेवी भाई है, पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहा है तथा इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं करता है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह रोहिला का निवासी हैं। हम दो भाई व तीन बहने हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ तथा सबसे छोटा सोहनलाल हैं। मेरी बहन का नाम बाबु था जिसकी शादी मेरे आटे–साटे में वर्ष 2016 में अशोक कुमार

के साथ की हुई थी। बाबु के मुकलावे के समय हमने उसे कुछ नही दिया था। बाबु की मृत्यु किस कारण हुई उसे नही मालुम।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 का सुसंगत भाग लिखाने से इंकार किया है। गवाह ने इस तथ्य को गलत होना कहा है कि शादी के एक साल बाद अशोक कुमार उसकी बहन को तंग परेशान करने लगा हो। इस तथ्य को भी गलत होना कहा कि अशोक कुमार नशेडी हो और नशा करके उसकी बहन के साथ मारपीट करता हो। इस तथ्य को भी गलत होना कहा कि मेरी बहन बाबु को घटना के 6 माह पूर्व दहेज के लिए घर से निकाल दिया हो और उनकी बहन उनके घर आई हो तब सारी बात हमे बताई हो। इस कथन को भी गलत होना बताया कि मेरी बहन ने हमे यह बताया हो कि अशोक उसे दहेज के लिए तंग परेशान व मारपीट करता हैं जिस पर मेरे पिता व ताउ मेरी बहन बाबु के ससुराल गये हो और ओलम्बा दिया हो तब बाबु के ससुराल वालो ने कहा कि आईन्दा मारपीट नही करेगें। इस कथन को भी गलत होना कहा कि 28.03.2019 को अशोक नशा करने के लिए धोरीमना जा रहा हो तब मेरी बहन ने मना किया हो। इस तथ्य को भी गलत होना कहा कि मेरी बहन बाबु को उसका पति अशोक दहेज के लिए तंग परेशान करता हो जिससे पीड़ित होकर बाबु ने फांसी खाकर आत्महत्या की हो।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि उसका भाई सोहनलाल मजदूरी हेतु बाहर रहता हैं। इस सुझाव को भी सही होना कहा कि बाबु देवी मेरे आटे साटे दे रखी थी। इस सुझाव को भी सही होना कहा कि बाबु ने हाजिर अदालत मुलजिम के द्वारा उसे दहेज हेतु तंग परेशान के लिए न तो उसे बताया न ही परिवार वालो को।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह **पी.डब्ल्यू. 9 किसनाराम** जो कि मृतका बाबूदेवी के पिता मानाराम का काकाई भाई है, भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहा है तथा इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि मानाराम मेरा काकाई भाई लगता हैं। मानाराम की बेटी का नाम बाबु था, जिसकी शादी 2016 में अशोक के साथ की हुई थी। बाबु के मुकलावे के समय मानाराम ने उसे कुछ नही दिया था। बाबु की मृत्यु किस कारण हुई उसे नही मालुम

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 का सुसंगत भाग लिखाने से इंकार किया है। गवाह ने इस

तथ्य को गलत होना कहा है कि बाबु के मुकलावे के समय मानाराम ने दो तोला सोने की कंठी व कुछ रोकड़ रूपये दिये थे। गवाह ने इस तथ्य को गलत होना कहा है कि शादी के एक साल बाद अशोक कुमार, बाबु को तंग परेशान करने लगा हो। गवाह ने इस तथ्य को भी गलत होना कहा कि अशोक कुमार नशेडी हो और नशा करके बाबु के साथ मारपीट करता हो। इस तथ्य को भी गलत होना कहा कि बाबु को घटना के 6 माह पूर्व दहेज के लिए घर से निकाल दिया हो और बाबु, मानाराम के घर आई हो तब सारी बात उनको बताई हो। इस कथन को भी गलत होना बताया कि बाबु ने मानाराम को यह बताया हो कि अशोक उसे दहेज के लिए तंग परेशान व मारपीट करता हैं जिस पर मानाराम व वह बाबु के ससुराल गये हो और ओलम्बा दिया हो तब बाबु के ससुराल वालो ने कहा कि आईन्दा मारपीट नही करेगें। इस कथन को भी गलत होना कहा कि 28.03.2019 को अशोक नशा करने के लिए धोरीमना जा रहा हो तब बाबु ने मना किया हो। इस तथ्य को भी गलत होना कहा कि बाबु को उसका पति अशोक दहेज के लिए तंग परेशान करता हो जिससे पीड़ित होकर बाबु ने फांसी खाकर आत्महत्या की हो।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि बाबु का भाई सोहनलाल मजदूरी हेतु बाहर रहता हैं। इस सुझाव को भी सही होना कहा कि बाबु ने हाजिर अदालत मुलजिम के द्वारा उसे दहेज हेतु तंग परेशान के लिए न तो उसे बताया न ही परिवार वालो से सुना।

13. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह **पी.डब्ल्यू. 16 खिंवणी** जो कि मृतका बाबुदेवी की माता है, भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रही है तथा इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसके दो लड़के व दो लड़किया थी। जिसमें से अब बाबुदेवी जीवित नही हैं। बाबुदेवी कीशादी अशोक कुमार के साथ धोरीमना में आज से करीब दस वर्ष पूर्व की थी। तीन साल बाबुदेवी ससुराल गई थीं बाबुदेवी की मृत्यु कैसे हुई और क्यो हुई, मुझे पता नही।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस तथ्य को गलत होना कहा हैं कि बाबुदेवी को दहेज के लिए अशोक कुमार तंग व परेशान करता हो। इस तथ्य को भी गलत होना कहा हैं कि अशोक कुमार द्वारा दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण बाबुदेवी ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 28 का सुसंगत भाग लिखाने से इंकार किया है।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि सोहनलाल ने मेरी बेटी बाबुदेवी को दहेज हेतु कभी तंग व परेशान नही किया था न ही मैने कभी सुना था।

14. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक अन्य महत्वपूर्ण गवाहान **पी.डब्ल्यू. 3 धरमाराम, पी.डब्ल्यू. 4 भजनलाल तथा पी.डब्ल्यू. 5 लालकृष्ण** जो कि अभियुक्त के रिश्तेदार होते हुए पड़ौसी गवाहान हैं, पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहे है तथा इन गवाहान ने भी अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त गवाहान ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उन्होनें कभी अशोक व उसके घ ार वालो द्वारा बाबुदेवी को दहेज के लिए तंग परेशान व मारपीट करते न ही सुना और न ही देखा और न ही इस बाबत उन्होने कोई पंचायती सुनी। बाबुदेवी ने फांसी खाकर आत्महत्या की थी।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह धरमाराम ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 3, गवाह भजनलाल ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 एवं गवाह लालकृष्ण ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 के सुसंगत भाग लिखाने से इंकार किया है। उक्त तीनो ही गवाहान ने इस कथन को गलत होना कहा हैं कि बाबुदेवी की मृत्यु अशोक द्वारा उसे तंग व परेशान करने के कारण हई हो। इस तथ्य को भी गलत होना कहा हैं कि अशोक के नशे की आदत की वजह से बाबुदेवी ने आत्महत्या की हो।

15. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह **पी.डब्ल्यू. 7 धन्नाराम** जो कि अभियुक्त का पड़ौसी है, भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहा है तथा इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वगताराम को वह जानता हैं जो उसका पड़ौसी हैं। उसके लड़के अशोक की शादी बाबु के साथ हो रखी थी। शादी के बाद बाबु अपने ससुराल अशोक के साथ ही रहती थी। उसके सास–ससुर उससे अलग रहते थे। आज से करीब 7 माह पूर्व मिरगो देवी उनके खेत में जीरा उखाडने आई हुई थी जो शाम तक वही पर थी। उसके बाद वह वापस अपने घर गई थी। बाबु की मृत्यु कब व कैसे हुई उसे पता नही।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने तथ्य को गलत होना कहा कि अशोक कुमार ने बाबु को दहेज के लिए तंग व परेशान किया हो और इस कारण बाबु ने आत्महत्या की हो।

16. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नक्शा मौका के गवाह **पी.डब्ल्यू.10 केसाराम** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 30.03.2019 को पुलिस ने बाबु की मौत के मामले में मौका देखकर नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 7 में पुलिस ने क्या लिखा था उसे नही पता, मैने तो हस्ताक्षर किये थे।

17. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह **पी.डब्ल्यू. 11 बुधराम** जो कि मृतका का चाचा हैं, भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहा है तथा इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि साक्ष्य से करीब 4 साल पहले की बात हैं। उसके भाई मानाराम की पुत्री बाबु की उस समय मौत हुई थी। पुलिस ने उस समय क्या कार्यवाही की थी उसे नही मालुम। बाबु की मौत किस कारण हुई उसे नही पता।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने फर्द सूरतहाल लाश बाबु प्रदर्श पी 8, फर्द सुपुर्दगी लाश बाबु प्रदर्श पी 9, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 13 एवं फर्द जब्ती रस्सी प्रदर्श पी 15 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया हैं। गवाह ने इस तथ्य को गलत होना कहा हैं कि बाबु को अशोक दहेज के लिए तंग परेशान करता हो।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि प्रदर्श पी 8, 9, 13 व 15 में पुलिस ने क्या लिखा था, उसे नही पता, मैने तो पुलिस के कहने से हस्ताक्षर किये थे।

18. अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू. 1 डॉ. पंकज एवं पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. रामनिवास** जो कि चिकित्सकीय साक्षी है, इन गवाहान ने प्रदर्श पी 1 द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन होना तथा उस मेडिकल बोर्ड में उनका सदस्य होना कथन करते हुए मृतका बाबुदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 तैयार करने संबंधी साक्ष्य दी है। इन दोनो ही गवाहान ने बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में इस सुझाव को सही होना कहा हैं कि मृतका के शरीर पर किसी प्रकार की चोट या खरोंच के निशान नही थे। चूंकि, प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहे हैं,

जिस कारण उक्त चिकित्सकीय साक्षीयों की साक्ष्य औपचारिक मात्र रह जाती है।

19. अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू. 15 प्यारेलाल** अनुसंधान अधिकारी है, जिसने प्रकरण के अनुसंधान बाबत कथन किया है। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 28.03.2019 को वह वृताधिकारी वृत गुड़ामालानी के पद पर पदस्थपित था। उस रोज एसएचओ धोरीमन्ना ने जरिये टेलीफोन रात 8 बजे के लगभग उसे सूचना दी कि धोरीमना में बख्ताराम की ढाणी में बाबु देवी नाम की महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर मय सरकारी गाडी वह, रीडर व स्टाफ के मय कैमेरा के घटनास्थल पर रवाना हुआ। मौके पर बाबुदेवी की अंदर कमरे में फंदे के लटकी हुई लाश थी। मौके पर एसएचओ व मृतका के परिजन मौजूद थे। घटना की फोटोग्राफी की और लाश को मोर्चरी में रखवाने की हिदायत कर वापस वृत गुड़ामालानी आ गया। दिनांक 29.03.2019 को एसएचओ धोरीमना ने जरिए टेलीफोन सूचना दी कि परिवादी ने प्रकरण संख्या 87/2019 धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं. की रिपोर्ट दी। जिस पर वह, उसके रीडर व स्टाफ मय अनुसंधान बॉक्स के अस्पताल धोरीमन्ना पहुंचा जहां एसएचओ धोरीमन्ना व मृतका के वारिसान मौजूद मिले। एसएचओ ने एफआईआर पेश की। जिसका अवलोकन किया गया व अनुसंधान प्रारभं किया गया। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा मृतका बाबुदेवी की फर्द सुरतहाल लाश रूबरू मौतबिरान मुर्तिब की जो प्रदर्श पी 08 है। उसी रोज मृतका बाबुदेवी का फर्द पंचनामा लाश रूबरू पंचान मुर्तिब कर फर्द बनाई जो प्रदर्श पी 13 है। उसी रोज मृतका बाबुदेवी के गले में रस्सी का फंदा जो फांसी खाने के लिये प्रयुक्त लिया गया था जिसको वक्त पोस्टमार्टम स्वीपर मोतीलाल ने पेश की जो कब्जा पुलिस लेकर एक वजह सबुत एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क–ए अंकित कर फर्द मुर्तिब की जो प्रदर्श पी 15 है। उक्त रस्सी को मालखाना में जमा करवाई जिसका मूल मालखाना रजिस्टर फर्द प्रदर्श पी 25 है। जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी 25ए है। जिसके मद संख्या 289/2019 के भाग ए से बी में वर्णित की हुई है। जिस पर तत्कालीन एसएचओ के हस्ताक्षर है। उसी रोज उसके द्वारा मृतका बाबुदेवी का बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार हेतु मृतका के जेठ को सुपुर्द कर फर्द बनाई थी जो प्रदर्श पी 09 है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा मोर्चरी में जहां पर मृतका बाबुदेवी की लाश रखी हुई थी, जिसकी उसके द्वारा फोटोग्राफी कर फोटो प्रदर्श पी 16 से 22 शामिल पत्रावली किये। दिनांक 30.03.2019 को घटनास्थल का परिवादी सोहनलाल की निशादेही पर मौका देखकर मौका फर्द बनाई थी, जो प्रदर्श

पी 07 है। मृतका बाबुदेवी की लाश का पोस्टमार्टम हेतु सीएचसी धोरीमन्ना को मेडिकल बोर्ड गठन करने हेतु तहरीर जारी की जो प्रदर्श पी 23 है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट तैयार की जो प्रदर्श पी 02 है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाह सोहनलाल, धर्माराम, भजनलाल, लालकृष्ण, रामजीवन, मानाराम, श्रीमति खीवनी, किशनाराम, धनाराम के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। दौराने अनुसंधान परिवादी सोहनलाल द्वारा मृतका का मुकलावा अशोक कुमार के साथ होने पर जो उपहार राशि के सबंध में चौपडा की लिखत फोटोप्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। दौराने अनुसंधान मुलजिम अशोक कुमार पुत्र बगताराम के विरूद्ध जुर्म धारा 498ए, 304 बी भा.दं.सं. में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को जरिये फर्द प्रदर्श पी 24 रूबरू गवाहान बनाई थी। मुलजिम गिरफ्तार कर चनणाराम को सूचना दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 है। पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 26 है। उसके द्वारा उक्त प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान कर आरोप पत्र पेश करने हेतु पुलिस अधीक्षक बाडमेर को प्रेषित कर दिया था। मृतका द्वारा फांसी खाने के लिये प्रयुक्त में ली गई रस्सी को वजह सबुत कब्जा पुलिस लिये जाकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर चेपायुक्त मार्क–ए अंकित है जो एक सफेद कपडे की थैली में सीलबंद हालात में उसके ऊपर सीआर नम्बर 87/2019 धारा 498ए, 304 बी आईपीसी पुलिस थाना धोरीमन्ना मार्क–ए अंकित किया हुआ है जिसको खोलने पर अंदर एक रेशमी बरंग हरा, गुलाबी व पीला जिसकी लम्बाई 2.5 फीट रस्सी है, जो आर्टिकल 1 है। बाद सम्पूर्ण अनुसंधान मुलजिम अशोक कुमार पुत्र बगताराम के विरुद्ध जुर्म धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर अंतिम चार्जशीट एसएचओ प्रदीप डांगा द्वारा प्रस्तुत की जो चार्जशीट प्रदर्श पी 27 है।

बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा है कि फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी 8 के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नही थे। इस सुझाव को भी सही होना कहा हैं कि इस प्रकरण से पूर्व मुलजिम द्वारा मृतका को तंग व परेशान किया गया हो इस बाबत मेरे सामने कोई रिपोर्ट पेश नही की गई थी। इस सुझाव को भी सही होना कहा हैं कि उसके अनुसंधान में यह तथ्य आया कि मुलजिम नशेडी था जो पत्नी के कहने के बावजूद भी घर से बाहर देर रात को निकल जाता था। इस तथ्य को भी सही होना कहा कि उसके अनुसंधान में यह तथ्य आया था कि मुलजिम धोरीमना जा रहा था तब उसकी पत्नी ने उसे धोरीमना जाने से मना किया तो उससे झगड़ा किया। अजखुद कहा कि झगडा करके मुलजिम धोरीमना चला गया

तब पीछे पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इस कथन को भी सही होना कहा कि उसके अनुसंधान में मुलजिम द्वारा दहेज के रूप में किसी विशिष्ट वस्तु या रूपयों की मांग की गई हो ऐसा तथ्य नही आया था।

20. अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू. 12 हनुमानराम, पी.डब्ल्यू. 13 श्रीराम एवं पी.डब्ल्यू. 14** फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 13 के मौतबीर गवाहान मात्र है।

21. हालांकि प्रकरण में अभियोजन के महत्वपूर्ण गवाह परिवादी एवं मृतका का भाई सोहनलाल पी.डब्ल्यू. 6 के रूप में परीक्षित हुआ हैं, जिसने स्वयं के द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 का समर्थन तो अपने मुख्य परीक्षण में किया हैं, परन्तु इस गवाह की साक्ष्य का समर्थन उसके अन्य रिश्तेदारो, माता, भाई व काका द्वारा नही किया गया हैं। इसके अलावा इस गवाह ने भी बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में अभियुक्त अशोक कुमार द्वारा मृतका से दहेज के रूप में किसी विशिष्ठ वस्तु की मांग की गई हो, ऐसा कोई कथन नही किया हैं।

22. इस प्रकार अभियोजन के सबसे महत्वपूर्ण गवाहान मृतका के परिवारजन पीडब्ल्यू 8 रामजीवन (मृतका का भाई), पी.डब्ल्यू. 9 किसनाराम (मृतका का चचेरा काका) एवं पी.डब्ल्यू. 16 खिंवणी (मृतका की माता) व अन्य महत्वपूर्ण गवाहान पीडब्ल्यू 3 धरमाराम, पीडब्ल्यू 4 भजनलाल, पीडब्ल्यू 5 लालकृष्ण, पीडब्ल्यू 7 धन्नाराम एवं पीडब्ल्यू 11 बुधराम पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हुए हैं। अभियोजन के इन महत्वपूर्ण गवाहान ने अभियोजन कहानी का कतई समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित चिकित्सकीय साक्षी पीडब्ल्यू 1 डॉ. पंकज एवं पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. रामनिवास, अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 15 प्यारेलाल, फर्द नक्शा मौका का मौतबीर गवाह पी.डब्ल्यू. 10 केसाराम, फर्द पंचनामा के मौतबीर गवाहान पी.डब्ल्यू. 12 हनुमानराम, पी.डब्ल्यू. 13 श्रीराम एवं पी.डब्ल्यू. 14 जगदीश की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की रह जाती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से जोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

23. उक्त संपूर्ण साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष के इस आपराधिक मामले में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498(ए), 304बी भा.दं.सं. विकल्पतः 302 भा.दं.सं. के संबंध में साक्ष्य पूर्ण रूपेण संदेह है तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 15 प्यारेलाल ने बचाव पक्ष की जिरह में स्पष्ट रूप से बचाव पक्ष के इस सुझाव को सही होना कहा है कि फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी

8 के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नही थे। इस सुझाव को भी स्वीकार किया हैं कि इस प्रकरण से पूर्व मुलजिम द्वारा मृतका को तंग व परेशान किया गया हो इस बाबत मेरे सामने कोई रिपोर्ट पेश नही की गई थी। इस सुझाव को भी सही होना कहा हैं कि उसके अनुसंधान में यह तथ्य आया कि मुलजिम नशेडी था जो पत्नी के कहने के बावजूद भी घर से बाहर देर रात को निकल जाता था तथा उसके अनुसंधान में यह तथ्य आया था कि मुलजिम धोरीमना जा रहा था तब उसकी पत्नी ने उसे धोरीमना जाने से मना किया तो उससे झगड़ा किया। इस कथन को भी सही होना कहा कि उसके अनुसंधान में मुलजिम द्वारा दहेज के रूप में किसी विशिष्ट वस्तु या रूपयों की मांग की गई हो ऐसा तथ्य नही आया था। अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा परिवादी की बहन बाबुदेवी के साथ दिनांक 26.06.2016 को होने के उपरांत उसे दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रपीड़ित कर क्रूरता की तथा दिनांक 28.03.2019 को शाम के किसी समय स्थान खरड़ स्थित अपनी रहवासी ढाणी में बने लोहे की चदरो के कमरे में एंगल पर रस्सी का फंदा लगाकर फांसी खाई, जिसके परिणामस्वरूप बाबुदेवी की मृत्यु कारित हुई। अभियुक्त ने बाबूदेवी की दहेज मृत्यु कारित की तथा अभियुक्त ने बाबुदेवी की मृत्यु कारित करने के आशय से उसको प्रताड़ित कर उसको रस्सी से लटकाकर बाबुदेवी की मृत्यु कारित की–हत्या की हो, को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, इसलिए अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

–:: <u>आ दे श</u> ::–

24. परिणामस्वरूप अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र वगताराम, निवासी धोरीमना, जिला बाड़मेर को धारा 498(ए), 304बी भा.दं.सं. विकल्पतः 302 भा.दं.सं. के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

25. धारा 437ए द.प.सं. के तहत अभियुक्त को इस निर्णय के विरुद्ध अपील पेश होने पर अपील न्यायालय में उपस्थित होने बाबत 25,000/– रुपए का स्वयं का बंधपत्र व 25,000/– रुपए की एक जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक कराने का आदेश दिया गया था, जिसके तहत जमानत मुचलके तस्दीक किए जा चुके हैं।

26. प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय पीड़ित पक्ष को किसी प्रकार का प्रतिकर दिलाया जाना उचित नहीं समझता है। अतः इस न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्ष को प्रतिकर राशि दिलवाए जाने की अनुशंषा नहीं की जा रही है।

27. अभियुक्त इस प्रकरण में जमानत पर हैं। अतः उसके नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

28. इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर को प्रेषित की जावें।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

29. निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

VINITA DHANWANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by VINITA DHANWANI
Date: 2026.05.08 14:14:03 +0530